

आगामी सुनवाई तारीख : 23/04/2026

3/04/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि उपरोक्त अनवान के राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आगामी सुनवाई तारीख : 23/04/2026

Handwritten signature
राज्यपाल दफ्तर
द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है